

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 19 जुलाई, 2025

बिहार में 12,817 नये मतदान केन्द्रों की स्थापना, कुल संख्या बढ़कर हुई 90,712

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के क्रम में प्रति मतदान केन्द्र अधिकतम 1200 निर्वाचकों के निर्धारित मानक के अनुसार बिहार राज्य में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया संपन्न की गई है। इस प्रक्रिया के तहत सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त किए गए। इन सुझावों के आधार पर मतदान केन्द्रों के पुनर्संरचना का प्रस्ताव तैयार कर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसे आयोग ने अपने पत्रांक 64/ पूर्व अनु०-1/बिहार-विधानसभा/2025, दिनांक 18-07-2025 द्वारा अनुमोदित कर सूचित किया है।

युक्तिकरण से पूर्व राज्य में कुल 77,895 मतदान केन्द्र थे। आयोग से प्राप्त अनुमोदन के उपरांत 12,817 नये मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिससे अब बिहार में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 90,712 हो गई है। इनमें से 12,479 मतदान केन्द्र उसी भवन या परिसर में स्थापित किए गए हैं, जबकि केवल 338 मतदान केन्द्रों का स्थान निकटस्थ परिसर में स्थानांतरित किया गया है।

नवनिर्मित मतदान केन्द्रों की जिलावार संख्यात्मक सूची दिनांक 19.07.2025 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक के दौरान साझा की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन नये मतदान केन्द्रों की जानकारी सभी राजनीतिक दलों एवं संबंधित हितधारकों को अविलंब उपलब्ध कराएं तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक मतदाता तक यह जानकारी समय पर पहुँच सके।
